कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, वीकानेर

:: प्रपन्न - 6 ::

निम्नांकित प्राध्यापक **संस्कृत स्**कूल शिक्षा को उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि को अधिवार्षिकी आयु पूर्व करने पर सेवानियत किया जाता है :--

क्र.सं.	नाम कार्मिक	विषय	विद्यालय का नाम	जन्म तिथि	संवर्गित्वृति विधिय
1	MAN SINGH CHAUDHARY		GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BAHNERA (217186) (08070506506) BHARATPUR	2/6/1960	30-06-2020

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कार्मिकों (क्रम सं. ०९ के अतिस्क्ति) के विरुद्ध आज तक :--

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम─ 16 के अथीन कोई विमागीय डॉब्स् विचाराधीन / लिखत नहीं है।
- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम— 19 के अधीन को विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लिम्बत नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन / लिम्बत नहीं है।

(सीरम स्वामी) (सीरम स्वामी) निवंशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान. बीकानेर

दिनांकः 27.04.2020

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/सी-1/संस्कृत/सेवानिवृति/2020-21 प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही वावत् प्रेपित है :-

- सम्बंधित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग
- 2 संबंधित उप निदेशक राज्य वीमा एवं प्रावधायी निधी विभाग,
- 3 उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
- 4 जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-ा/॥)
- 5 सिस्टम एनेलिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वैवसाईट पर प्रकाशनार्थ।
- 6 संबंधित संस्था प्रधान कार्मिक से 10 रू के स्टाम्प पर न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन नहीं होने का शपथ पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को पंजीकृत डाक से अविलम्ब भिजवावें।
- 7 संबंधित कार्मिक
- 8 निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक) माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान